संख्या–I/6/98–का–प्रसको/2002

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक विभाग–प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक: लखनऊ : दिनाँक: जून 14 , 2002

विषय:– प्रशिक्षक – प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या–12022/2/2001–प्रशि0–I, दिनाँक 23 अप्रैल, 2002 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए, मुझे यह अवगत कराने का निदेश हुआ है, कि भारत सरकार के पत्र में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम शासन के विभागों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के उन अधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, जो प्रशिक्षण संबंधी कार्य के संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रबन्धक के रूप में नामित किये गये हैं ।

2. अत: अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इच्छुक एवं पात्र प्रशिक्षण प्रबन्धकों के नामांकन, यथाशीघ्र भारत सरकार एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को भिजवाते हुए, कृपया कार्मिक विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

§ भुइयाँदीन §
विशेष सचिव ।

संख्या–I/6/98§I§–का–प्रसको/2002, दिनाँकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान एवं सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया प्रश्नगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपने संस्थान के इच्छुक एवं योग्य प्रशिक्षक का भी नामांकन भारत सरकार एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को भिजवाते हुए, कार्मिक विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें ।
2. निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, प्रशिक्षण प्रभाग, ब्लाक–04, तीसरातल, पुराना जे0एन0यू0कैम्पस, नई दिल्ली–110067 को उनके पत्र सं0–12022/2/2002-प्रशि0–I, दिनाँक23 अप्रैल, 2002 के संदर्भ में ।
3. संयुक्त महा निदेशक, S.I.R.M. सी. आर. मानव संसाधन विकास, आन्ध्र प्रदेश संस्थान, मार्ग संख्या–25, जुब्ली हिल्स, हैदराबाद–500033
4. संयुक्त निदेशक, असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज, जवाहर नगर, पी0ओ0–खानपारा, गुवाहाटी–781022

आज्ञा से,

§ भुइयाँदीन §
विशेष सचिव ।